(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी (I.A.S.)
अपील संख्या : 22/2025
तारीख रज्जू : 20.01.2025 निर्णय दिनांक : 29.09.2025

1. बहादुर पुत्र मोठूराम,
2. प्रकाश पुत्र मोठूराम,
3. भूपेन्द्र,
4. दिनेश पुत्रान बहादुर,
5. सुरेश,
6. राजेश,
7. महेन्द्र पुत्रान गिरधारीलाल,
8. विजय,
9. विरेन्द्र पुत्रान प्रकाश,

समस्त जाति अहीर निवासी पवाना अहीर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।

....अपीलान्ट्स

1. तहसीलदार कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।
2. हनुमान पुत्र केहरा,
3. अनिता देवी पत्नि धर्मपाल,
4. मोहित पुत्र धर्मपाल नाबालिग जरिये वली माता अनिता देवी स्वयं समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम पवाना अहीर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर, हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।

....रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कोटपूतली प्रकरण संख्या 3/2021 बउनवान हनुमान बनाम बहादुर वगैरा निर्णय दिनांक 19.05.2022 अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट.।

उपस्थितः–

1. वकील श्री मधुसुदन अग्रवाल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुधीर कुमार शर्मा रेस्पौडेन्ट्स की ओर से।

।। निर्णय ।।

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कोटपूतली के आदेश दिनांक 19.05.2022 प्रकरण संख्या 03/2021 बउनवान हनुमान बनाम बहादुर वगै0, जिसके द्वारा अपीलान्ट को बेदखल किए जाने एवं लगान की 50 गुणा पैनल्टी वसूल किए जाने की आज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 19.05.2022 को अपीलान्ट को बेदखल किए जाने एवं लगान की 50 गुणा पैनल्टी वसूल किए जाने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो प्रार्थीगण को कोई सूचना दी, ना ही कोई नकल परिवाद पत्र भिजवाया और ना ही उन्हें अन्य किसी प्रकार से इस परिवाद के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हुई। मनमाने तौर पर प्रार्थीगण की तामिल मानकर उन्हे बिना कोई सुनवाई का, बिना कोई जबाब देही का अवसर दिये मनमाना आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया काबिले मन्सूखी है। अपीलान्टस में से एक भी व्यक्ति को न्यायालय की कोई सूचना या नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और न्यायालय ने पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व दस्तावेजात पर भी कोई विचार नहीं किया। जहां पर नक्शा ट्रेस में यह क्षेत्र कोई काश्त की भूमि ना होकर बल्कि आबादी क्षेत्र है, जिसके संबंध में स्वयं तहसीलदार ने भी अपने उसमें अंकन किया है और ऐसे आबादी क्षेत्र के संबंध में तहसीलदार कोटपूतली को किसी प्रकार का कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है बिना अधिकारी तहसीलदार कोटपूतली ने जो आदेश पारित किये वह प्रथम दृष्टया काबिले मन्सूखी है। विवादित स्थान पर जिसे खसरा नम्बर 570 बताया गया है पर प्रार्थी अपीलान्टस अपने पड़दादाओ के समय से बसे हुये है यानि 100 से 150 वर्ष पूर्व से बसे हुये है और इनके पड़दादा को व अन्य परिवारजनो के नाम से उस स्थान के पट्टे ग्राम पंचायत शुक्लाबास द्वारा जारी किये गये है जिनमे कुछ पट्टे सन् 1960, 1966 व 1969 के है, जो इसी आबादी क्षेत्र के है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा जिसे कृषि भूमि व काश्त की भूमि मानकर जो आदेश पारित किये है वह प्रथम दृष्टया काबिले मन्सूखी है। उपरोक्त स्थान पर पहले प्रार्थीगण के बुजुर्गो के कच्चे छप्पर बने हुये थे बाद में पुख्ता मकान बनाये

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

हुये है जिसमें करीब 20 से भी अधिक मकानात बने हुये है और वो मकान महिने या दो महिने या साल भर में नहीं बने है बल्कि 100 से 150 वर्ष के पूर्व के बने हुये है जिनमें अपीलान्ट के अलावा बिरजूसिंह, सवाईसिंह राजपूतान भी बसे हुये है और वे भी अपने बुजुर्गान के समय से काबिज है ऐसी स्थिति में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पटवारी हल्का के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गयी वहां पर आबादी क्षेत्र है आबादी बसी हुई है उसके बावजूद मनमाने तौर पर जो आदेश पारित कर दिया है वह प्रथम दृष्टया काबिले मन्सूखी है। विवादित भूमि सैकड़ो सालों पहले से ही टीबा वाली ढाणी के नाम से विख्यात है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में कोई साक्ष्य ना लेकर मनमाने तौर पर अपीलान्टस जो इस भूमि के पट्टेदार मालिक है उन्हे अतिक्रमी मानकर के जो आदेश पारित किया है वह पूर्णतया गलत व काबिले मन्सूखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने सायल से किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं ली है जिससे कही भी यह जाहिर हो सके कि अपीलान्टस ने हाल ही में कोई कब्जा वहाँ पर किया हो। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र एस०सी०/एस०टी० सूचक तथ्य से प्रभावित होकर राजनैतिक दबाब से गलत आदेश व मनमाना आदेश पारित किया है जो काबिले मनसूखी है। प्रार्थीगण का वहां पर विधुत कनेक्शन व दूरभाष के कनेक्शन भी 25 सालो से अधिक समय से है और वह भूमि उनकी पट्टे शुदा मालिकाना भूमि है जिसके संबंध में तहसीलदार कोटपूतली को किसी प्रकार का कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है आदेश पूर्णतया मनमाना, गलत व राजनैतिक से प्रेरित है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय तहसीलदार कोटपूतली प्रकरण संख्या 3/2021 बउनवान हनुमान बनाम बहादुर वगैरा निर्णय दिनांक 19.05.2022 अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट को खारिज फरमाने की कृपा करे।

विद्वान वकील रेस्पौडेन्ट्स ने अपील में वर्णित तथ्यों एवं वकील अपीलान्ट्स की बहस के दौरान वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी वाके ग्राम पवाना अहीर तहसील कोटपूतली में स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्टस 02 ल0 04 है। रेस्पोडेन्ट्स अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट्स की उपरोक्त आराजी पर नींव खोदकर निर्माण कार्य कर लिया जिसकी पूर्व में ही रेस्पोडेन्ट्स ने पुलिस थाना सरूण्ड में लिखित शिकायत दर्ज करवायी थी जिस पर अपीलान्ट्स के द्वारा पुलिस थाने में लिखित में सहमति प्रस्तुत की थी कि रेस्पोडेन्ट्स की भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगें। अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि पर लैट्रिंग बाथरूम का निर्माण कर लिया तथा मना करने पर लडाई झगड़ा करने लगे। इसलिए रेस्पोडेन्टस द्वारा तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 183 बी.आर.टी. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पटवारी हल्का से मुताबिक राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की जाकर अपीलान्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अपीलान्ट बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आये इसलिए तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलान्ट को तामिल होने के बाद भी उनकी ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर खसरा नबर 570 वाके ग्राम पवाना अहीर पर अपीलान्ट का अवैध अतिक्रमण किया जाना स्वतः ही सिद्ध होने पर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा खसरा नंबर 570 हेतु प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नबर 570/0.24 है0 वाके ग्राम पवाना अहीर पर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये व नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशि का पचास गुणा अर्थदण्ड के रूप में जुर्माना किया गया है।

अन्त में वकील रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील मय हर्जा खर्चा खारिज फरमायी जाकर तहत न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, कानून की मंशा देखी गई एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर गौर किया गया, जिसमें मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन करने पर स्पष्ट जाहिर होता है कि तहत न्यायालय ने अपीलान्ट्स की विधिवत् तामिल होने के बाद जवाब पेश करने हेतु उचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी तहत न्यायालय में जवाब पेश नहीं करने पर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा–183 बी के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेजात के अध्ययन से जाहिर है कि अपील में वर्णित आराजी खसरा नबर 570 वाके ग्राम पवाना अहीर तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी की है तथा रेस्पोडेन्ट्स अनुसूचित जाति के है। अतः प्रश्नगत आराजी पर दीगर व्यक्ति का कोई अधिकार सृजित नहीं हो सकता। इस प्रकार वकील अपीलान्ट्स की बहस प्रकरण में चस्पा नहीं होती है तथा वकील रेस्पोडेन्ट्स की बहस प्रकरण पर पूर्ण चस्पा होने से अपील अपीलान्ट्स साबित नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स साबित नही होने के कारण खारिज की जाती है एवं तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 19.05.2022 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

(प्रियंका प्रियस्वामी)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़